Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

34-2019/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019 (PHALGUNA 2, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st February, 2019

No. 06-HLA of 2019/11/3796.— The Electricity (Haryana Amendment) Bill, 2019 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 06- HLA of 2019

THE ELECTRICITY (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Electricity Act, 2003, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Electricity (Haryana Amendment) Act, 2019. Short title.

2. In sub-section (2) of section 127 of the Electricity Act, 2003, for the words "half of the assessed amount", the words and sign "one-fifth of the assessed amount" shall be substituted. Amendment of section 127 of Central Act 36 of 2003.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. As per provisions of the Electricity Act, 2003, the assessment of amount to be recovered from a person on account of unauthorized use of electricity is made by the Assessing officer vide an order under Section 126 of the Electricity Act,2003 which is reproduced below: -

*“**Section 126 Assessment**. - (1) If on an inspection of any place or premises or after inspection of the equipments, gadgets, machines, devices found connected or used, or after inspection of records maintained by any person, the assessing officer comes to the conclusion that such person is indulging in unauthorized use of electricity, he shall provisionally assess to the best of his judgement the electricity charges payable by such person or by any other person benefited by such use.*

(2) The order of provisional assessment shall be served upon the person in occupation or possession or in charge of the place or premises in such manner as may be prescribed.

(3) The person, on whom an order has been served under sub- section (2) shall be entitled to file objections, if any, against the provisional assessment before the assessing officer, who shall, after affording a reasonable opportunity of hearing to such person, pass a final order of assessment within thirty days from the date of service of such order of provisional assessment of the electricity charges payable by such person.

(4) Any person served with the order of provisional assessment, may, accept such assessment and deposit the assessed amount with the licensee within seven days of service of such provisional assessment order upon him:

(5) If the assessing officer reaches to the conclusion that unauthorised use of electricity has taken place, the assessment shall be made for the entire period during which such unauthorized use of electricity has taken place and if, however, the period during which such unauthorised use of electricity has taken place cannot be ascertained, such period shall be limited to a period of twelve months immediately preceding the date of inspection.]

(6) the assessment under this section shall be made at a rate equal to 1[twice] the tariff rates applicable for the relevant category of services specified in sub-section (5).”

2. Sub-section (1) of Section 127 of the Electricity Act-2003 provides that any person aggrieved by the final order of assessment made under section 126 can file an appeal before an appellant authority. Sub-section (2) of section 127 further provides that such an appeal shall be entertained only if the person deposits half of the assessed amount with the licensee. Relevant part of section 127 is reproduced below: -

*“**Section 127. Appeal to appellate authority.-** (1) Any person aggrieved by the final order made under Section 126 may, within thirty days of the said order, prefer an appeal in such form, verified in such manner and be accompanied by such fee as may be specified by the State Commission, to an appellate authority as may be prescribed.*

(2) No appeal against an order of assessment under sub-section (1) shall be entertained unless an amount equal to half of the assessed amount is deposited in cash or by way of bank draft with the licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed along with the appeal.”

It was observed by the State Govt. that considerable difficulties are being faced by aggrieved consumers in filing appeal under this provision of sub-section (2) of section 127 of the Electricity Act, 2003 because of the requirement of payment of 50% (half of the assessed amount) before filing the appeal. The assessed amount for unauthorized use of electricity, as per Section 126 of the Electricity, Act, 2003, is worked out at two times the applicable tariff for the entire period during which unauthorised use of electricity has taken place and in case the period during which such unauthorised use of electricity has taken place cannot be ascertained, such period is limited to one year. Keeping in view the difficulties being faced by the electricity consumers, it was decided, with the approval of the Hon'ble CM, to relax this condition, of depositing 50% of the assessed amount, to deposit of one fifth of the assessed amount for filing the appeal against the assessment order.

3. Accordingly a proposal as under was submitted vide Memorandum dated 03.05.2018 for consideration and approval of Council of Ministers.

“It is, therefore, proposed that the word “half” appearing before the words “of the assessed amount” in sub-section (2) of Section 127 of the Electricity Act, 2003 may be replaced with words “one fifth”

The subject ‘electricity’ figures as item no 38 in the Concurrent List of the VIIth Schedule of the Constitution of India. Therefore, the State Legislature is competent to make the proposed amendment. However, Presidential assent would be required to be taken as per Article 254 of the Constitution of India.”

The Memorandum was considered by the Council of Ministers in its meeting held on 30.05.2018 and the proposal as given above was approved. The decision of Council of Minister is reproduced below:-

“The proposal was approved.”

4. The measure approved by Council of Ministers requires amendment in Sub-section (2) of Section 127 of the Electricity Act, 2003. As already stated the subject 'electricity' figures as item No. 38 in the Concurrent List of the Seventh Schedule of the Constitution of India. The State Legislature is, therefore, competent to make the proposed amendment. However, Presidential assent would be required to be taken as per Article 254 of the Constitution.

5. The Electricity (Haryana Amendment) Bill, 2019 has accordingly been drafted in line with the decision of the Council of Ministers to affect state amendment to replace the word *“half”* appearing before the words *“of the assessed amount”* in Sub-section (2) of Section 127 of the Electricity Act 2003 with the word *“one fifth”* .Accordingly, Sub-section (2) of Section 127 of the Electricity Act 2003, for its applicability in the State of Haryana, shall be substituted with the following Sub-section:-

(2) No appeal against an order of assessment under sub-section (1) shall be entertained unless an amount equal to ***one fifth*** *of the assessed amount is deposited in cash or by way of bank draft with the licensee and documentary evidence of such deposit has been enclosed along with the appeal.”*

After the Electricity (Haryana Amendment) Bill, 2019 is passed by the State Legislature, it will be sent for Presidential assent required to be taken as per Article 254 of the Constitution of India.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandiarh:
The 21st February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या–6–एच०एल०ए०

विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019

विद्युत अधिनियम, 2003, हरियाणा

राज्यार्थ, को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम विद्युत (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36 की धारा 127 का संशोधन।

2. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 की उप–धारा (2) में, ''निर्धारित रकम के आधे'' शब्दों के स्थान पर, ''निर्धारित रकम के पांचवें भाग'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के आधार पर किसी व्यक्ति से वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के अधीन एक आदेश के तहत निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है जो नीचे पुनः प्रस्तुत है:–

*"**धारा 126 निर्धारण –** (1) यदि किसी स्थान या परिसर के निरीक्षण पर अथवा संयोजित या प्रयुक्त पाए गए उपस्करों, जुगतों, मशीनों, युक्तियों के निरीक्षण पर अथवा किसी व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों के निरीक्षण के पश्चात निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह व्यक्ति विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग कर रहा है तो वह अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे उपयोग से लाभान्वित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदेय विद्युत प्रभारों का अनंतिम निर्धारण करेगा।*

(2) अनंतिम निर्धारण का आदेश, उस व्यक्ति पर जिसके अधिभोग में या कब्जे में या प्रभारधीन उक्त स्थान या परिसर है, ऐसी रीति से तामील किया जाएगा जो विहित की जाए।

(3) वह व्यक्ति जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, निर्धारण अधिकारी के समकक्ष अनंतिम निर्धारण के विरूद्ध आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल करने का हकदार होगा, जो उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय विद्युत प्रभारों के अस्थाई निर्धारण के ऐसे आदेश की सेवा की तिथि से 30 दिनों के अन्दर निर्धारण का एक अंतिम आदेश पारित कर सकेगा।

(4) ऐसा व्यकित जिस पर अनंतिम निर्धारण का आदेश तामील हुआ है उस निर्धारण को स्वीकार कर सकता है और ऐसे अनंतिम निर्धारण आदेश के उस पर तामील के सात दिन के भीतर अनुज्ञप्तिधारी के पास निर्धारित रकम जमा कर सकता है:

(5) यदि निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग हुआ है, तो निर्धारण सम्पूर्ण अवधि के लिए किया जाएगा जब विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है तथा यदि, यद्यपि, उस अवधि जिसके दौरान विद्युत का ऐसा अप्राधिकृत उपयोग हुआ है, का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसी अवधि निरीक्षण की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के लिए सीमित होगी।

(6) इस धारा के अधीन निर्धारण, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट सेवा के सुसंगत प्रवर्ग के लिए लागू टैरिफ दरों के 1(दो गुणा) के बराबर किया जाएगा।"

2. विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 127 की उप–धारा (1) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 126 के अधीन किए गए निर्धारण के अंतिम आदेश से व्यथित है तो वह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। धारा 127 की उप–धारा (2) में आगे प्रावधान है कि ऐसी अपील पर केवल तभी विचार किया जाएगा यदि व्यक्ति लाईसैंसी को निर्धारित रकम का आधा जमा करवाता है। धारा 127 का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत है:–

*"**धारा 127 अपील प्राधिकारी को अपील:–**(1) धारा 126 के अधीन किए गए अंतिम आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त आदेश से तीस दिन के भीतर, ऐसे अपील प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से सत्यापित और ऐसी फीस के साथ अपील कर सकेगा, जो राज्य आयोग द्वारा विहित की जाए।*

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण आदेश के विरूद्ध कोई अपील, तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारित रकम के आधे के बराबर रकम अनुज्ञप्तिधारी के पास नकद में या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा न कर दी गई हो और ऐसे निक्षेप का दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न न किया गया हो।"

राज्य सरकार द्वारा यह अवलोकन किया गया था कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 की उप–धारा (2) के इस प्रावधान के अधीन व्यथित उपभोक्ताओं को अपील दायर करने से पहले 50% (निर्धारित राशि का आधा) भुगतान की मांग के कारण अपील दायर करने में विचारणीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अनुसार, विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के लिए निर्धारित राशि, सम्पूर्ण अवधि के लिए लागू टैरिफ पर दो गुना निकाला जाता है जिसके दौरान विद्युत अनाधिकृत उपयोग हुआ है तथा यदि उस अवधि के दौरान विद्युत का ऐसा अनाधिकृत उपयोग हुआ है, का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसी अवधि एक वर्ष के लिए सीमित है। विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति से, निर्धारित राशि का 50% जमा करवाने की शर्त में छूट देने, निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने के लिए निर्धारित राशि का पांचवा हिस्सा जमा करवाने का निर्णय लिया गया था।

3. तदनुसार मंत्रिमंडल के विचार–विमर्श तथा स्वीकृति के लिए ज्ञापन दिनांक 03.05.2018 के तहत एक प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

"इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 की उप–धारा (2) में, "निर्धारित रकम के आधे" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारित रकम के पांचवें भाग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

विषय 'विद्युत' भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में मद्द संख्या 38 के रूप में है। इस प्रकार, राज्य विधान–मण्डल प्रस्तावित संशोधन करने के लिए सक्षम है। यद्यपि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी''।

30.05.2018 को हुई बैठक में मंत्रिपरिषद् द्वारा ज्ञापन पर विचार–विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। मंत्रिपरिषद् का निर्णय नीचे पुनः प्रस्तुत है।

'प्रस्ताव स्वीकृत किया गया''

4. मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत उपाय को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 की उप–धारा (2) में संशोधन करने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले बताया गया है विषय 'विद्युत' भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में मद्द संख्या 38 के रूप में है। इसलिए राज्य विधान–मण्डल प्रस्तावित संशोधन करने के लिए सक्षम है। यद्यपि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी''।

5. विद्युत (हरियाणा संशोधन) बिल, 2019 तदनुसार विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 की उप–धारा (2) में, निर्धारित रकम के ''आधे'' शब्दों के स्थान पर ''पांचवें भाग'' शब्द प्रतिस्थापित करने के लिए राज्य संशोधन को प्रभावित करने के लिए मंत्रिपरिषद् के निर्णय अनुसार ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तदनुसार हरियाणा राज्य में इसको लागू करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 की उप–धारा (2) निम्नलिखित उप–धारा के साथ प्रतिस्थापित की जाएगीः–

(2) *उप–धारा (1) के अधीन किसी निर्धारण आदेश के विरूद्ध कोई अपील, तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारित रकम के **पांचवे भाग** के बराबर रकम अनुज्ञप्तिधारी के पास नकद में या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा न कर दी गई हो और ऐसे निक्षेप का दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न न किया गया हो।''*

राज्य विधान मण्डल द्वारा विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2019 पास होने के बाद, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार राष्ट्रपति की आवश्यक स्वीकृति लेने के लिए भेजा जाएगा।

मनोहर लाल,
मुख्यमन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।